



नकली दवा सप्लाई केस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने कार्रवाई की है। इस संबंध में एंटी करप्शन ने दस लोगों को गिरफ्तार किया है।



Delhi Fake Medicine Supply: दिल्ली सरकार के छह अस्पताल को घटिया दवा आपूर्ति केस में सात दवा निर्माता और तीन प्रयोगशाला मालिक और फार्मासिस्ट एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार किए हैं। केस में डॉक्टर, अधिकारी और स्टोरकीपर की मिलीभगत भी सामने आई है। अस्पतालों द्वारा नकली दवा प्राप्त किए बिना ही जाली रसीद जारी की थीं। सतर्कता जांच और रिकॉर्ड टेम्पर्डिंग के बाद तैयार की गई जाली लैब रिपोर्ट भी जब्त की गई है।

ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा के अनुसार, एसीबी, जीएनसीटीडी ने [दिल्ली](#) सरकार के अस्पतालों लाल बहादुर शास्त्री, एलएनजेपी, डीडीयू, एसजीएम, जेएसएसएच और जीटीबी अस्पताल के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत केस में उजागर हुई है। आपूर्तिकर्ताओं ने घटिया दवा की आपूर्ति के बदले और यहां तक कि कम डिलीवरी होने या डिलीवरी न होने की स्थिति में भी अस्पतालों के अधिकारियों से निर्धारित वस्तुओं की रसीद हासिल की थी।

अस्पतालों का किया था दौरा

18 अगस्त, 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सतर्कता शाखा की छह टीमों ने इन अस्पतालों का दौरा किया था। विभिन्न वस्तुओं यानी रोल्ड बैंडेज, आईवी सेट आदि के नमूने एकत्र किए गए थे। इन नमूनों को विभिन्न जीएनसीटी-अनुमोदित प्रयोगशालाओं में भेजा गया था। इनमें से अधिकांश नमूने परीक्षण के दौरान या तो घटिया पाए गए या फेल हो गए थे।

Source: <https://www.haribhoomi.com/state-local/delhi/news/anti-corruption-branch-arrested-10-in-fake-medicine-supply-case-2024-02-14-9957>